फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), मुकाम जायल (नागौर)

नोज कुमार बनाम मुरलीधर वगैरह

प्रकरण – राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नम्बर 150 /2012

रिख वम	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
2012	यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के तहत पेश किया। बहस अभिभाषक प्रार्थीगण की एक पक्षीय सुनी गई। प्रार्थना पत्र में अंकित विवरण/शपथ पत्र व पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के मध्यनजर व बहस से सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति एवं प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने पर खियाला के खेत खसरा न. 849/2017 रकबा 5.10 बीघा, खसरा न. 878 रकबा 3.01 बीघा खसरा न. 879 रकबा 1.05 बीघा, खसरा न. 880 रकबा 0.18 बीघा कुल 10 बीघा व 14 बिस्वा के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अप्रार्थीगण को तारीख पेशी 21.12.2012 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें पत्रावली मुकर्रर तारीख पेशी 21.12.2012 को पेश हो। (एस.डी.ओ. ... जायल, नागौर)	24/1/12 6/6/13
21/12	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण के सम्मन तामील बदस्तूर तामील अप्राप्त है। पीठासीन अवकाश पर है। अतः आदेश की मियाद आगामी ता० पेशी 24/1/2013 तक बढ़ाई जाने हेतु वकील प्रार्थी ने निवेदन किया। जो कि आदेश दिनांक 6/12/12 की मियाद आगामी ता० पेशी मुकर्रर 24/1/2013 तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली मुकर्रर ता० पेशी हो।	
24.1.13	पक्षकार/पक्षकारान के अभिभाषक ... पीठासीन ... अवकाश ... उनके समक्ष ... पेश करें। 18.4.13 पक्षकार/पक्षकारान के अभिभाषक 18/4/13 पीठासीन अधिकारी जो मिटिंग में/प्रमण/अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 6/6/13 को पेश करें।	

फर्द अहकाम
(नियम–26)

मनोजकुमार बनाम मुरलीधर

प्रकरण : प्रार्थनापत्र — मुकदमा नं. 150 /2019

तारीख	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज
018	पत्रावली न्याय आप के द्वार शिविर में अटल सेवा केन्द्र रिंगाला में पेश हुई वकील प्रार्थी ने नोटप्रेस कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है अतिः विड्रोल खारीज किया जावे। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जरिये विड्रोल खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

[illegible signature]